महत्वपूर्ण प्रकरण/तत्काल
स्मरण-परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

क्र. एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3, अटल नगर, दिनांक 24/07/2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूंठे (फर्जी/गलत) प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं समाप्त करने बाबत्।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 26.10.2019 समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.11.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5.12.2020 एवं स्मरण पत्र दिनांक 7.1.2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 4.2.2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 30.06.2021

कृपया संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्रों द्वारा भी पूर्व में निर्देशित किया गया है कि, ऐसे शासकीय सेवकों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जानी है जिनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी/गलत पाए गए हैं। अतः आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिनके जाति प्रमाण पत्र **"जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति"** द्वारा झूठे (फर्जी/गलत) पाए जाने पर निरस्त कर दिया है। उन प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग के नियम-निर्देशों के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई है? उन समस्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी **तत्काल** इस विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2/ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आपके विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी/गलत पाए गए हैं। उन्हें तत्काल सेवा/महत्वपूर्ण पदों से पृथक किया जाए। ऐसे सम्पूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए तथा ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हैं, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए।

3/ सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट दायर किया जाए। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय का स्थगन प्राप्त हो, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विधि विभाग द्वारा समीक्षा की जाए और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाए।

क्रमशः..2

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR
No. 1020
Date 28/7/21

4/ संदर्भित परिपत्रों एवं स्मरण पत्रों द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आपके विभाग से संबंधित फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आपके विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों से चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः पुनः अनुरोध है कि, वांछित जानकारी **निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क. एफ 13–16/2015/आ.प्र./1–3, अटल नगर, दिनांक 24/07/2021

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मान.मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. सचिव, छ.ग.लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
15. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
17. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान.उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
18. संचालक, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
19. **संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www. gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग